Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **डूंगरपुर में ए.एस.आई. को 5 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *15 जनवरी।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की राजसमंद इकाई द्वारा आज शुक्रवार को डूंगरपुर में कार्यवाही करते हुये प्रताप सिंह सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना कोतवाली डूंगरपुर को 5 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की राजसंमद इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि मेरे विरूद्ध थाना कोतवाली डूंगरपुर में दर्ज प्रकरण में एफ.आर. लगाने की एवज में आरोपी सहायक उप निरीक्षक प्रताप सिंह द्वारा 22 हजार रूपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी राजसंमद के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजेश चौधरी** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज अपनी टीम के साथ डूंगरपुर में ट्रेप कार्यवाही करते हुये **प्रताप सिंह** पुत्र श्री दौलतसिंह निवासी ओबरी तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर **हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना कोतवाली डूंगरपुर** को परिवादी से 5 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।

आरोपी स.उ.नि. (गोल घेरे में)